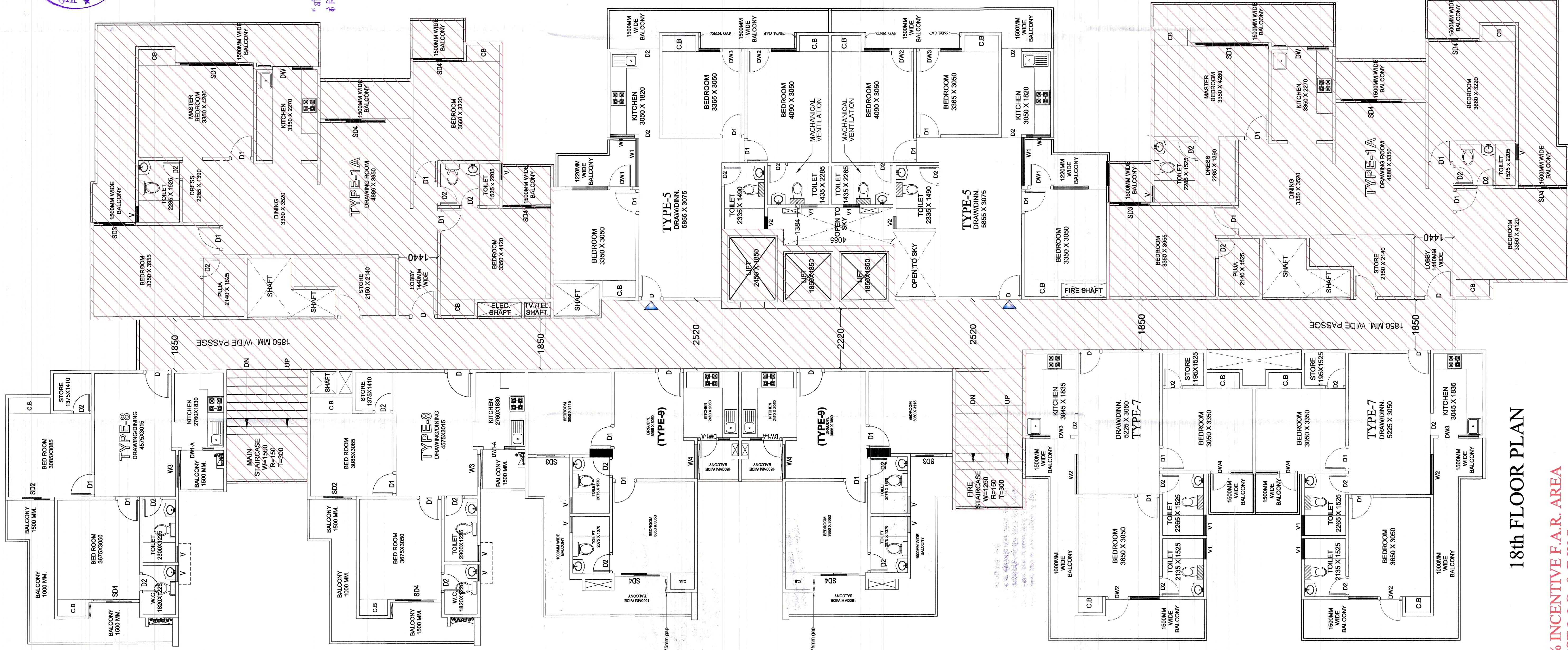


## 18th FLOOR PLAN



पर्यावरण की दृष्टि से राज्य उन निति  
अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम  
..... पेड़ लगाना अनिवार्य है ।  
भूति २००५

[illegible]

पुस्तक संख्या :-  
प्रतिपाद १०.१५ प्रतिकर  
प्रतिपाद १०.१५ प्रतिकर

सहायक नगर निगोजक  
गजियाबाद विकास प्राधिकरण  
गजियाबाद

विद्युत नियमों के अनुसार सुरक्षित दूरी छोड़कर ही निर्माण कार्य किया जायेगा

“अधिष्ठाना एव उनमें कार्यरत श्रमिकों का श्रम विभाग के नियमानुसार पंजीयन कराया जाना आवश्यक है।”

“निर्माणाधीन अवधि में निर्माण स्थल पर धूल स  
बढ़ने हेतु समुचित कवर का प्रावधान किया जाए  
निर्माण समूहों के परिचालक एवं उनके उपयोग  
की अवधि में निर्माण सामग्रियों पर पानी का  
छिड़काव एवं डस्ट सस्पेंशन यूनित का उपयोग  
अनिवार्य रूप से किया जाए निर्माण सामग्रियों को  
ने जाने हेतु ट्रक एवं वाहनों का प्रयोग किया जा

इंधल पर एक बोर्ड पर स्वीकृत मानचित्र की  
सख्या व दिनांक लिखना अनिवार्य होगा।

PROJECT: REV. SUBMISSION DRAWING FOR PROPOSED GROUP HOUSING (PARADISE - II) AT KH. NO. -1005 to 1008 AT VILLAGE NOORNAGAR GHAZIABAD (U.P.)

OWNER: M/s. HIGH END INFRATECH ( P ) LTD.  
DIRECTOR - Mr. P.C. GUPTA

**BLOCK - B**  
**18th FLOOR PLAN**



ARC

**ANUJ AGARWAL ARCHITECTS**  
OFFICE:- A-244 KAUSHAMBI GHAZIABAD (U.P.)  
Ph:-0120- 4165716 , 4563716 , 4157506  
e-mail : [arch.anujagarwal@gmail.com](mailto:arch.anujagarwal@gmail.com)

|           |            |                   |
|-----------|------------|-------------------|
| N.T.S.    |            |                   |
| DESIGN BY | CHECKED BY | DRG. No.<br>SD-13 |